"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 248] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 अगस्त 2011—श्रावण 27, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-33/दो-गृह/रापुसे/2007.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियमों की उद्देशिका में क्रमशः शब्द "भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक", "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल" तथा "बनाते" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1)", "राज्य सरकार" तथा "बनाता" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-33/दो-गृह/रापुसे/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 18th August 2011

NOTIFICATION

No. F 2-33/2-Home/SPS/2007.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007, namely :—

AMENDMENT

In the said rules.—

In preamble of the rules, for the words "proviso to Article 309 of the constitution of India", "Government of Chhattisgarh" and "make", the words "sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007)", "State Government" and "makes" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालिक बल (छ.स.बल), आरक्षक (जनरल ड्यूटी) एवं आरक्षक ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियमों की उद्देशिका में क्रमशः शब्द "भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक", "छत्तीसगढ़ के राज्यपाल" तथा "बनाते" के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) की धारा 50 की उप-धारा (1)", "राज्य सरकार" तथा "बनाता" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-34/दो-गृह/रापुसे/2008.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 18th August 2011

NOTIFICATION

No. F 2-34/2-Home/SPS/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007), the State Government hereby makes the following amendment to the Chhattisgarh Armed Executive Force (CAF), Constable (General Duty) and Trade Constable (Trained/Untrained) (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In preamble of the rules, for the words "proviso to Article 309 of the constitution of India", "Governor of Chhattisgarh" and "make", the words "sub-section (1) of Section 50 of the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007)", "State Government" and "makes" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.